संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
11/2018-19

विषय: रेल ब्रेकेज अथवा रेल/वैल्ड खराबी के मामले में की जाने वाली कार्यवाही।

Sub: Action to be taken in case of rail/weld failure or rail breakage.

दिनांक/Date : 28.09.18

मध्य रेल

मं रे प्र कार्यालय,
संरक्षा शाखा,सोलापुर

सं.एस यू आर/एस एफ टी/एस/103.

दिनांक : 28.09.18

संरक्षा परिपत्र संख्या : 11 /18-19

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- रेल ब्रेकेज अथवा रेल / वैल्ड खराबी के मामले में की जाने वाली कार्यवाही।

साधारण एवं सहायक नियम 1999 संस्करण में बताये अनुसार ट्रैक पर लर्च, रेल/वेल्ड खराबी के मामले में की जाने वाली कार्यविधि, गाड़ी संचालन से संबंधित कर्मचारियों के मार्गदर्शन व कडाई से अनुपालन हेतु नीचे दोहरायी जाती है।

लोको पायलट के कर्तव्य :- सहायक नियम 6.07-1 खराब रेल पथ - शुध्दि पत्र संख्या 9 मद संख्या 20

जब लोको पायलट या गार्ड को जिस ट्रैक से उसकी गाड़ी पास हो रही है उस ट्रैक पर कोई असामान्य स्थिति महसूस होने पर और वह समझता है कि ट्रैक के जिस हिस्से से गाड़ी पास हुई है, वह गाड़ियों के सुरक्षित संचालन हेतु खतरनाक है तो वह निम्नानुसार कार्रवाई करेगा।

क. ब्लाक सेक्शन को क्लियर किए बिना अगले ब्लाक सेक्शन में अपनी गाड़ी रोकेगा बार बार सीटी बजायेगा इकहरी लाइन के मामले में प्रभावित ब्लाक सेक्शन के किसी भी सिरे से किसी गाड़ी को लिए प्रवेश करने हेतु अनुमति नहीं दिए जाने संबंधी उपलब्ध संचार व्यवस्था से स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और दोहरी लाइन के मामले में यह कार्य पिछेसे करेगा, आई बी एस और स्वयसंचालित ऑटोमैटिक ब्लाक क्षेत्रों के मामलों में लोको पायलट द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए और गाड़ी के लोको पायलट को गाड़ियों के संचालन बंद करने हेतु उपलब्ध संचार व्यवस्था से पीछे से पहले से ही पार कर चुके स्टेशन को सूचित करना चाहिए।

ख. स्वयं तसल्ली करने के बाद कि स्टे.मा. ने उसकी बात को समझ लिया है तथा जब तक स्टे.मा. को लिखित रुप से मेमो नहीं मिलता तब तक उस लाइन पर अगले संचालन करने हेतु अनुमति नहीं देगा, इसके पश्चात लोको पायलट इस प्रकार से गाड़ी रोकेगा कि इंजन ब्लाक केबिन या स्टेशन भवन के सामने रुके जहां ब्लाक उपकरण लगे हैं जिससे स्टेशन मास्टर को विस्तुत लिखित मेमो दी जा सके।

प्रभावित स्टेशन में स्टेशन मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य:- सहायक नियम 6.07-1 खराब रेल पथ

ग. इस प्रकार से मेमोरी प्राप्त हो जाने पर ब्लाक सेक्शन के दूसरे सिरे पर स्थित ब्लाक स्टेशन के स्टे.मा./स. स्टे.मा., जूनियर इंजीनियर मुख्य नियंत्रक और मंडल परिचालन प्रबंधक के नाम संदेश जारी करना चाहिए।

घ. स्टेशन मास्टर ट्रैक के प्रभावित हिस्से से पहले पर्याप्त दूरी पर स्टॉप डेड हेतु सतर्कता आदेश से इंजीनियर कर्मचारियों के साथ रेल अनुरक्षक मशीन टॉवर वैगन लाइट इंजन अकेला गाड़ी या उनकी अनुपस्थिति में गाड़ी भेजने का प्रबंध करेगा.

ङ. इंजिनियरी विभाग के कर्मचारियों की अनुपस्थिति में प्रभावित किलोमीटर से पहले स्टॉप डेड के बारे में लोको पायलट को अनुदेश देते हुए सतर्कता आदेश के साथ गाड़ी को भेजा जाए कि लोको पायलट को ट्रैक का निरीक्षण कर, अपने आप तसल्ली कर लेने के बाद कि ट्रैक के गुजारने हेतु सुरक्षित है तो 10 कि.मी./घंटे से गाड़ी निकालेगा अन्यथा या उसे गाड़ी पार करने में लाइन असुरक्षित महसूस होने पर पिछले स्टेशन को वापस आना चाहिए। यदि लोको पायलट किसी संदिग्ध् स्टेशन ,स्टेशन अवस्था का पता लगाने में असमर्थ होने पर इंजीनीयरी विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने संबंधी प्रमाणित किए जाने तक प्रभावित ट्रैक पर इसके बाद वाली गाडियों को 10 कि.मी/घंटे से भेजा जाए।

च. यदि पहले से ही सूचित किए गए अनुसार स्थिति का लोको पायलट द्वारा पुष्टि किए जाने पर इंजीनियर विभाग के अधिकारियों द्वारा जबतक ट्रैक सुरक्षित है इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक गाड़ियों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>गाड़ी के गार्ड कर्तव्य</u>

यदि गार्ड को अपने गाड़ी पर कार्य करते समय ट्रैक में कोई असामान्य स्थिति महसूस होने पर उसे वॉकी के माध्यम से अपने गाड़ी के लोको पायलट को सूचित करना चाहिए या असामान्य स्थिति के बारे में लोको पायलट और गार्ड के बीच अन्य उपलब्ध संचार व्यवस्था से सूचित करना चाहिए। इसके पश्चात लोको पायलट उपर्युक्त स.नि.6.07-1 (क) में बताए गए अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि गार्ड द्वारा लोको पायलट को संपर्क बनाए रखने में असफल होने पर उसे गाड़ी रोकने हेतु कार्रवाई करना चाहिए और लोको पायलट को सूचित करना चाहिए।

<u>इंजिनियरी विभाग के कर्मचारियों के कर्तव्य</u>

1. लर्च रेल वेल्ड खराबी में मंडल नियंत्रण कार्यालय को स्टेशन के स्टे.मा./स. स्टे.मा. या अन्य किसी स्त्रोत से संदेश प्राप्त होने पर पहली उपलब्ध् टॉवर वैगन, लाइट इंजन या स्थल की ओर जाने वाली गाड़ी से प्रभावित स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए।

2. स्थल पहुंचने पर इंजीनियर विभाग के अधिकारी ट्रैक निरीक्षण करेंगे और गाड़ी परिचालन हेतु ट्रैक सुरक्षित होने की तसल्ली करने के बाद ही गाड़ी पार करने हेतु अनुमति देंगे। ट्रैक की स्थिति और लागू की जाने वाली गति प्रतिबंध के बारे में स्टे.मा. को व्यक्तिगत रुप से या लिखित मेमो द्वारा सूचित करेंगे। जिसे लाको पायलट के द्वारा भेज जा सकता है।

3. **<u>सहायक नियम 15.17-1 शुध्दि पत्र संख्या 3 मद संख्या 5</u>**

रेल वेल्डिंग खराब हो जाने पर कीमैन / गैंगमेट / जूनियर इंजीनियर / सेक्शन इंजीनियर या शीत ऋतू पेट्रोलमैन लाइन का आवश्यक बचाव करने के बाद आपातकालीन मरम्मत करके पहली गाड़ी 20 कि.मी./घंटे की गति से यातायात शुरु करेंगे। लाइन की **स्था**यी/अ**स्था**यी मरम्मत जितनी जल्दी संभव हो सके तो रेल पथ निरीक्षक द्वारा की जायेगी और सामान्य गति से यातायात बहाल किया जएगा।

सभी संबंधित कृपया नोट करें और तदनुसार कार्य करें.

(सुरेश कुमार एन टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सोलापुर